न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 77 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, सरवाड

.....प्रार्थी

बनाम

दुर्गा ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड, सरवाड, अजमेर जरिये श्री तरूण कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी–सरवाड.

....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 28.08.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी एवं तहसीलदार सरवाड द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	056455	HPC	15.7	25.2	9.5	Domestic
2	10107	HPC	15.6	15.6	Nil	Domestic
3	371437	HPC	15.6	29.6	14.0	Domestic
4	692298	HPC	15.7	29.9	14.2	Domestic
5	410342	HPC	15.9	30.0	14.1	Domestic
6	Nil	Nil	5 किलो क्षमता के अप्रमाणित			
7	Nil	Nil				

मय चूल्हा रिपेयरिंग पाईप भण्डारित पाये गये। इन गैस सिलेण्डर के संबध में अप्रार्थी द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रार्थी का कृत्य, गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से पांच घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः 05 घरेलू सिलेण्डर एवं 02 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेंण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पर गायत्री गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री महावीर रेगर पुत्र श्री सत्यनारायण निवासी सरवाड को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू सिलेण्डर एवं 02 छोटे अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई वाहने पर उपस्थित को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 19.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा दुकान के पास ही रहवास के लिए मकान किराये पर ले रखा है। जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को घरेलू कार्य हेतु दुकान पर लाकर रखे गये थे। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यासायिक उपयोग नही किया गया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जाकर जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि एवं नियमानुसार अप्रमाणित सिलेण्डरों से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner